मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन– मंत्रालय–भोपाल

कमांक/एफ.11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश ।

विषयः– मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतन (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बावत ।

संदर्भ– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–1–1/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 17 मार्च, 1999/19.4.1999 तथा समसंख्या परिपत्र दिनांक 17–5–2000

–0–

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील कमोन्नति योजना को संशोधित करते हुये समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है ।

2. सिविल सेवाओं में जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें "अ" तथा "ब" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति पश्चात् 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा "स" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा । सीधी भर्ती से तात्पर्य संवर्ग में स्वीकृत पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार प्रतियोगी एवं विभागीय परीक्षा में जो सभी के लिये समान रूप से खुली हैं, के अनुसार भर्ती से हैं । ऐसी सीमित विभागीय चयन परीक्षा जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी सम्मिलित हो सकते हों, के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवाएं ऐसी नियुक्ति के दिनांक से इस योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान की पात्रता हेतु गणना की जाएगी ।

3. यह संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील होगी तथा इसका लाभ उन सिविल सेवाओं के सदस्यों को उपलब्ध होगा जिनके लिये पृथक से कोई विशिष्ट योजना प्रभावशील नहीं है ।

4. इस योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा जो पदोन्नति के लिये निर्धारित हैं। यदि सेवा भर्ती नियमों के अंतर्गत जिस संवर्ग में पदोन्नति होती है उसका वेतनमान इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उच्चतर वेतनमान से भी उच्चतर है तो सीधी भर्ती वाले संवर्ग का श्रेणीकरण कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, तथा प्रवर श्रेणी जैसा उपयुक्त हो, में किया जायेगा। यदि इस योजनान्तर्गत देय उच्चतर वेतनमान पदोन्नत संवर्ग के वेतनमान से उच्चतर है, तो इस योजना अन्तर्गत प्राप्त होने वाला उच्चतर वेतनमान व्यक्तिगत वेतन के रूप में ही देय होगा और इसके लिये सेवा भर्ती नियमों में सीधी भर्ती वाले संवर्ग का पृथक से श्रेणीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. ऐसे शासकीय सेवक, जिनके द्वारा इस संशोधित योजना अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित आवश्यक सेवा अवधि पूरी की जा चुकी है उनको उक्त निर्धारित सेवा अवधि के पश्चात् इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान, जैसा लागू हो, का लाभ 1.4.2006 से प्राप्त होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–1–1/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 17 मार्च, 1999/19.4.1999 तथा समसंख्या परिपत्र दिनांक 17–5–2000, के अनुसार कमोन्नत वेतनमानों के अंतर्गत प्राप्त लाभ संबंधी प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा ।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एफ. 2–6/1/वे.आ.प्र./96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के कियान्वयन में जिन सिविल सेवाओं के लिये वेतनमानों का उन्नयन किया गया है उनके सदस्यों को इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति पूर्व तिथि से मानते हुये, इस योजना का लाभ दिनांक 1–4–2006 से दिया जायेगा ।

7. सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अंतर्गत नियुक्त हैं, तो उसे पदोन्नति पश्चात् वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अंतर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (ए) (ii) के अंतर्गत, जो भी अधिक लाभ दायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा। यदि पदोन्नति के समय पहले से ही उक्त पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में वह इस योजनांतर्गत नियुक्त है, तो वह उच्चतर वेतनमान का धारण पदोन्नति पश्चात् भी व्यक्तिगत वेतन के रूप में करेगा ।

8. यदि इस योजना अन्तर्गत प्रथम उच्चतर वेतनमान में नियुक्त रहते हुये कोई शासकीय सेवक उसी वेतनमान में पदोन्नति का लाभ प्राप्त करता है तो उसे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता प्रथम उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने की तिथि से होगी ।

9. दिनांक 1.4.2006 को यदि उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिये निर्धारित सेवा अवधि अथवा उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है तो प्रथम उच्चतर वेतनमान की पात्रता दिनांक 1–4–2006 से होगी। दिनांक 1–4–2006 को यदि द्वितीय उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई है तो उसे सीधे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी ।

10. यदि किसी शासकीय सेवक की दिनांक 1–4–2006 को प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित सेवा अवधि से अधिक सेवा अवधि है तो अधिक सेवा अवधि द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिये गणना में ली जायेगी। उदाहरणार्थ यदि प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिये 8 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है और दिनांक 1–4–2006 को उसकी कुल सेवा अवधि 12 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो शेष 4 वर्ष की अवधि द्वितीय उच्चतर वेतनमान हेतु गणना में ली जायेगी अर्थात जिस भी दिनांक को उसकी सेवा अवधि 16 वर्ष हो जाती है उस दिनांक से उसे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी ।

11. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एफ. 2–6/1/वे.आ.प्र./96 दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के कियान्वयन में जिन सिविल सेवाओं के लिये वेतनमानों का उन्नयन किया गया है उनके सदस्यों को इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति पूर्व तिथि से मानते हुये, इस योजना का लाभ दिनांक 1–4–2006 से दिया जायेगा, उनके मामलों में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले वेतनमान में शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य नियमों के अंतर्गत किया जायेगा। ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 ए (i) के अंतर्गत नहीं होगा ।

12. यदि किसी शासकीय सेवक को सामान्य प्रशासन विभाग के सन्दर्भ में अंकित परिपत्रों के द्वारा लागू कमोन्नति योजना के अन्तर्गत प्रथम अथवा द्वितीय कमोन्नति का लाभ मिल चुका है तो ऐसे मामलों में इस परिपत्र के अन्तर्गत प्रथम अथवा द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता की उपयुक्तता के लिए गोपनीय प्रतिवेदनों के पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख उच्चतर वेतनमानों का लाभ देने हेतु सक्षम होगें ।

13. इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा। परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।

14. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एफ–1–1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19 अप्रैल, 99 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 17–5–2000 में दर्शित प्रावधानों को इस सीमा तक संशोधित माना जाए ।

15. विभिन्न वेतनमानों के लिए परिशिष्ट–1 के अनुसार उच्चतर वेतनमान का प्रावधान किया जाएगा इस परिपत्र के परिशिष्ट–2 में उल्लेखित विभिन्न विभागों के विभिन्न संवर्गों को प्रत्येक के सामने अंकित किये अनुसार उच्चतर वेतनमान की स्वीकृति इसी प्रावधान के अनुसार होगी । परिशिष्ट–2 में जिन विभागों / संवर्गों का उल्लेख नहीं है उनके संबंध में प्रचलित कमोन्नति योजना में संशोधन / प्राप्त प्रस्तावों / मांगों पर विचार किए जाने हेतु प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के प्रकाश में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

16. इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर उच्चतर वेतनमानों में वेतन नियतन कर शासकीय कर्मचारी को भुगतान किया जावे । उच्चतर वेतनमानों में वेतन नियतन पश्चात शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जॉच कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए । सभी विभाग मे पदस्थ मध्यप्रदेश लेखा सेवा के उपसंचालक एवं वरिष्ठ अधिकारी भी इन प्रकरणों की जॉच हेतु अधिकृत किए जाते है ।

17. समस्त विभाग इन निर्देशों के प्रकाश में उनके द्वारा प्रशासित सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान / संशोधन करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीते

(ए0 पी0 श्रीवास्तव)
सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक/एफ.11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक **24 जनवरी**, 2008

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष.–3),मंत्रालय, भोपाल ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवन, मंडी बोर्ड परिसर, अरेरा हिल्स भोपाल ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष – लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(पी0सी0 वर्मा)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग